चित्रकूट पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस ने लूट की घटना का 03 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को लूट के 8000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विकास उर्फ देवी दीन उर्फ नेपाली पुत्र नवल किशोर निवासी गोडा रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट
2. बाले पटेल पुत्र बुद्धू निवासी पासी तिराहा शत्रुघ्नपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

लूट के 8000/- रुपये।

संक्षिप्त विवरण-

वादी चुनकाई यादव पुत्र शिवराज यादव निवासी ग्राम गढीवा द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी गई कि दिनांक 15.06.2024 को सुबह ट्रैफिक चौराहे के पास मैं अपने पैसे पीले रंग का छोटा सा बैग जो कमर में बांधा जाता है में से रुपए निकाल कर गिर रहा था यह रुपया बेड़ी पुलिया पर ई रिक्शा का लोन का किस्त जमा करने के लिए जा रहा था कि दो लड़के जिनकी उम्र लगभग 18 से 19 साल रही है आए और मेरे हाथ से रुपया 8000 रुपये छीनकर भाग गए। वहीं पर खड़ा मेरा बेटा लक्ष्मी एक लड़के को पहचानता था जिसका नाम बाले पटेल पुत्र बुद्धू पटेल निवासी पासी तिराहा शत्रुघ्नपुरी थाना कोतवाली कर्वी है। बैग में मेरा आधार कार्ड और पासबुक था जिसे देखकर पहचान सकता हूं कि सूचना पर मु0अ0सं0 393/2024 धारा 392 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उ0नि0 श्री श्याम देव, उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उ0नि0 श्री श्याम देव,उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मात्र 03 घण्टे के अन्दर अभियुक्त 1. विकास उर्फ देवी दीन उर्फ नेपाली

पुत्र नवल किशोर निवासी गोडा रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 2. बाले पटेल पुत्र बुद्धू निवासी पासी तिराहा शत्रुघ्नपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को रेलवे यात्रि सेड के पास से लूट के 8000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि0 बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री श्याम देव थाना
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
3. आरक्षी शिवपूजन यादव

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा व अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह की टीम द्वारा एस टी नंबर 140/2015 धारा 304A,429 भादवि0 135 विधुत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 1.संतोष पुत्र जियालाल निवासी ग्राम अमवा बकटा खुर्द जनपद चित्रकूट एवं एस टी नंबर 70/2019 धारा 354,452,506 भादवि0 3(2)5A एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त 2.शिवबली पुत्र नंथु यादव निवासी गडौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी
2.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह
2.उ0नि0 यूटी श्री शिवम कन्नौजिया
3.आरक्षी मुकद्दर सिंह
4.आरक्षी अतुल मिश्रा
5.आरक्षी नरेंद्र कुशवाहा

(3). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिनाँक 16.06.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में नये कानून की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों, अभियोजन अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा थाना/कार्यालयों के निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों,

दीवान/मुन्सियों एवं सीसीटीएनएस का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों को दिनाँक 01.07.2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धाराओं के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया।

इस कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री एम0पी0 तिवारी, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री शिवशंकर सिंह, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर डा0 पूर्णेंदू मिश्रा, अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त, अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह एवं अन्य अभियोजन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू निरीक्षक श्री सूर्यकान्त अरुण राय के मार्गदर्शन में डॉग स्क्वॉयड ,एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट, निर्मोही अखाड़ा परिक्रमा मार्ग आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 404/016 धारा 279,338, 304A भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामखिलावन निवासी सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह

2.आरक्षी मनोज

3. आरक्षी राजमंगल

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो

से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(7). आज दिनाँक-16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा कर्वी शहर के धनुष चौराहा पर सघन वाहन चैकिंग की गयी ।इस दौरान 02 पहिया 04 पहिया वाहनों की चैकिंग की गयी जिसमें 02 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट, 03 सवारी तथा अवयस्कों द्वारा वाहन चलाने व 04 पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट लगाये चालकों, गाडियों में लगे हूटर को उतरवाया गया। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एण्ड ड्राइव कर गाड़ी चलाने वाले चालक की गाड़ी आई20 सीज की गयी तथा चालक का लाइसेन्स निरस्तीकरण हेतु भेजा गया। ट्रैक्टर ट्राली में यात्री को बैठाकर चलाने वाले चालक की ड्राइविंग लाइसेन्स निरस्तीकरण हेतु भेजा गया। इस दौरान 162 वाहनों से 3,81,400 रुपये का ई-चालान किया गया।